राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स.3(3)(01)स्था/मंत्रा/अभि/2018/ 4270-4350 दिनांकः– 23/3/2018

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय, संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियो को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु.3/2017 दिनांक 08.02.2018 से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरुप राजस्थान कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यार्थियो को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– प्रतिमाह एंव परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीनस्थ एतद्द्वारा किया जाता है :–

क. सं.	अभ्यार्थी का नाम व पिता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	पदस्थापन स्थान
1.	श्री रामप्रकाश डिडेल पुत्र श्री तेजाराम	BC	23.07.92	78	751054	स.नि.अ. नागौर
2.	श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री शिम्भू दयाल	GEN	09.12.92	134	363300	स.नि.अ. दौसा
3.	श्री विनय गौतम पुत्र श्री दिनेश गौतम	GEN	02.12.95	264	879091	स.नि.अ. जयपुर द्वितीय
4.	श्री अजय सिंह पुत्र श्री बलदेव राज	BC	05.04.91	269	131647	स.नि.अ. हनुमानगढ
5.	श्री राजकमल सैन पुत्र श्री राजेन्द्र सैन	BC	04.02.91	358	184433	स.नि.अ. सीकर
6.	श्री औमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मक्खन लाल	GEN	15.06.86	362	823135	स.नि.अ. चुरू
7.	श्री आदित्य कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा	GEN	05.09.93	722	348572	स.नि.अ. अलवर
8.	श्री चेतन दवे पुत्र श्री धनेश्वर दवे	GEN	18.08.89	841	590795	स.नि.अ. जालौर
9.	श्री महताब सिंह पुत्र श्री राम कुमार जाट	BC	23.08.95	1006	827001	स.नि.अ. झुन्झुनू
10.	श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री बच्चू सिंह	GEN	15.10.93	1174	258191	स.नि.अ. सवाईमाधोपुर
11.	रितिका चौधरी पुत्री श्री ओमप्रकाश सेवदा	BC WE	16.01.90	1224	806798	स.नि.अ. सीकर
12.	श्री प्रदीप कुमार जाणियॉ पुत्र स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद जाणियॉ	BC	30.12.94	1237	187196	अभियोजन निदेशालय जयपुर
13.	श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा	GEN	18.07.94	1304	121153	स.नि.अ. जयपुर देहात
14.	ऑचल रावत पुत्री श्री कैलाश चन्द	GEN WE	14.06.94	1452	134785	स.नि.अ. जयपुर प्रथम
15.	श्री भवानी सिंह सांखला पुत्र श्री अमरसिंह सांखला	GEN	25.01.92	1544	467067	स.नि.अ. बीकानेर
16.	श्री नवलाराम पुत्र श्री पुरखाराम चौधरी	BC	01.02.95	1559	397179	स.नि.अ. बाडमेर

२/-

17.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री देवकरण	BC	01.07.85	1801	510658	स.नि.अ. चुरू
18.	श्री बलराम बैरवा पुत्र श्री प्रभू लाल बैरवा	SC	05.07.93	1898	182836	स.नि.अ. अजमेर
19.	श्री आदेश कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल	BC	15.02.91	1912	841875	स.नि.अ. नागौर
20.	श्री राजू प्रजापत पुत्र श्री राम प्रसाद प्रजापत	BC	25.11.95	1922	262101	स.नि.अ. टोंक

1. उक्त नियुक्ति डी.बी.स्पेशल रिट अपील संख्या – 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.17 एंव अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

2. परिवीक्षाधीन/प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिंनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिंनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/–(Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें। यदि इनका कार्य परिवीक्षा अवधि में सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो इनकी सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के पश्चात सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में नियमित वेतन श्रृखंला स्वीकृत की जावेगी।

3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिंनाक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में यदि वह असमर्थ हो,तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

4. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

5. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा 2013 में अभियोजन विभाग को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिको के समनुरूप होगी।

8. दो वर्ष की परीविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एंव अनुमत्त अन्य भत्ते देय होगें।

9. परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित

116/-

माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश ,अनापत्ति प्रमाण पत्र एंव गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11.उक्त कार्मिको पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनाक 28.01.04 एंव 27.03.04 संशोधित आदेश दिनाक 30.10.17 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होगें एंव अन्य प्रवर्तनीय ओदश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगें।

12.उक्त नियुक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

13.सन्दर्भित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिर्पोट में यदि कोई भी विपरित तथ्य पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उसका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एंव पूर्ववृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरित तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का राज्य सरकार को अधिकार होगा।

14.उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐ एंव संलग्नित किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजो में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

15.उक्त अभ्यार्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उर्त्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

16.अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

17.अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

sd/-
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यार्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें। तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रुप से कार्यग्रहण कर लेवें।
5. निजी पत्रावली/ विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

114
23.3.18
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।